उ0म0रेल

कार्यालय
मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) झाँसी।

पत्रांक– पी/161/एक्ट0 अप्रैन्टिस/झाँसी/2019–20/भर्ती

दिनाँक – 15–03–2021

अधिसूचना –01/2020/झाँसी

विषय–झाँसी मण्डल में अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के लिए एक्ट प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेन्टिस) के चयन के संबंध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एमपीपी)2009/6/14 दिनांक 03.12.19 में निहित निर्देषों के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे, कार्यालय, मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक), झाँसी अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित ट्रेडों में अप्रैन्टिस प्रषिक्षण हेतु कुल 480 सीटों के लिये आवेदन आमंत्रित करता है। बोर्ड के पत्र दिनांक 03.12.19 मे निहित निर्देषों के तहत ऑन लाईन (Online) प्रकिया के माध्यम से अभ्यर्थियों की नामिका बनाने का प्रस्ताव है।

योग्य उम्मीदवार ऑन लाइन आवेदन दिनांक 17–03–2021 से दिनांक 16–04–2021 तक www.apprenticeshipindia.org पर पंजीकरण एवं आवेदन करें।

सीटों का विवरण:–

क्र. सं.	ट्रेड	सीटों की संख्या							प्रशिक्षण की अवधि (अप्रैन्टिस एक्ट 1961 के अनुसार)
		सामान्य	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	शारीरिक विकलांग (दिव्यांग)		
							ओ.एच.	एच.एच	
1	फिटर	145	77	43	21	286	(O/L,B/L) 5	4	एक वर्ष
2	वैल्डर (गैस एंव इलैक्ट्रिक)	06	03	01	01	11	NIL	NIL	एक वर्ष
3	मैकेनिक डीसल	42	23	13	06	84	(O/L,B/L) 2	1	एक वर्ष
4	कारपेन्टर	06	03	01	01	11	NIL	NIL	एक वर्ष
5	इलैक्ट्रीशियन	44	24	13	07	88	(O/L,B/L) 2	1	एक वर्ष
	कुल योग	**241**	**132**	**71**	**36**	**480**			

01. रेलवे बोर्ड के पत्रांक E(MPP) 2002/6/10 दिनॉक–17.06.11 में निहित अनुदेशों के तहत अ.जा हेतु 15% सीटें अ.ज.जा. हेतु 7.5% सीटें तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु 27% सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर पदों को अनुसूचित जन जाति (ST) के अभ्यर्थियों के द्वारा एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर सीट अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को ऐसे अभ्यर्थी से भरा जायेगा जो अ.जा/अ.ज.जा वर्ग से संबंधित नही है। अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवार न होने पर सीटो को अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारो से भरा जायेगा।

* कुल सीटों की 3% सीटें भूतपूर्व सैनिक उनके बच्चों तथा आर्म्ड फोर्स के जवानों के बच्चों हेतु निम्न प्रकार आरक्षित हैं। { प्राधिकार पत्रांक E(MPP) 2002/6/VI दिनॉक 31.07.06} #(i) प्रभावित /अपंग भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के साथ–साथ जिसमें शांतिकाल के दौरान प्रभावित /अपंग भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे भी हैं।} #(ii)भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे #(iii) सेवारत जवानों के बच्चे #(iv) सेवारत अधिकारियों के बच्चे #(v) भूतपूर्व सैनिक

** कुल सीटों की 3% सीटें शारीरिक रुप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जिसके लिए केवल लोकोमोटर अक्षम या सेरेबल पलसी (ओ.एच.) जो केवल 40 प्रतिषत या उससे अधिक हो एवं बहरे विकलांग जिनके सुनने की क्षमता 60 डेसीबल या उससे अधिक हों, आवेदन कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को इस आरक्षण का लाभ लेने के लिये केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा गठित मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी अक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.....

Scanned with CamScanner

*** प्रत्येक उम्मीदवार को आवेदन करने से पूर्व बेवसाईट **www.apprenticeshipindia.org** पर पंजीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण के उपरान्त कार्यालय, मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) झाँसी के द्वारा नोटीफाईड रिक्तियों हेतु संबंधित प्रोफार्मा में आवेदन करें, तथा आवश्यक शैक्षिणिक एवं तकनीकी प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन के साथ प्रपत्र सत्यापन के समय भेजें। इसके अतिरिक्त प्राप्त पंजीकरण स्लिप की प्रिंट-प्रति आवेदन के साथ अटैच करें अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पंजीकरण करने की प्रकिया/संबंधित जानकारी बेवसाईट **www.apprenticeshipindia.org** के दायीं ओर **FAQ** द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

2. **प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण स्थल** – प्रशिक्षण अवधि रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक– 31-05-17 (आर.बी.ई. संख्या–54/2017) के अनुसार संबंधित ट्रेड के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए निर्धारित होगी। प्रशिक्षण स्थल, कार्यालय, मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक), उ0म0रेल, झाँसी होगा।

पात्रता

3 **आयु सीमा–**

अ. दिनॉक–17–03–2021 को उम्मीदवार की आयु 15 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये तथा 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ब. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 05 वर्ष एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को 03 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी।

स. शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

4 **शैक्षणिक योग्यता–**

उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवीं या समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली) में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए तथा **एनसीवीटी से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त आई.टी.आई/तकनीकी संस्थान से संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. पास प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है। एन.सी.वी.टी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है, प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**

5 **वृत्तिका (Stipend)**– रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई दरों पर नियमानुसार Stipend का भुगतान किया जाएगा।

6 **शुल्क** – आवेदन शुल्क के रूप में रूपये 100/– एवं पोर्टल शुल्क रूपये 70/– का भुगतान कराना होगा। अनु.जाति, अनु.जन.जाति, शारीरिक विकलांग एवं महिला उम्मीदवार को आवेदन शुल्क देय नहीं है, परन्तु पोर्टल शुल्क रूपये 70/– सभी आवेदकों को देय होगा।

7 **आवेदन का तरीका** – इच्छुक उम्मीदवार www.mponline.gov.in की बेवसाइट पर पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक निर्देश – आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है, कि केवल विज्ञापन के अनुसार ही पात्र उम्मीदवार आवेदन करें। वह विज्ञापन नोटिस को ध्यान से पढ लें। यदि उन्हें यह सन्तुष्टि है कि वे आवेदन की योग्यता की शर्ते पूरी करते हैं तथा उनके पास आवेदन के समय सभी वॉछित दस्तावेज हैं तो ही वह www.mponline.gov.in की बेवसाइट पर पंजीकरण एवं आवेदन करें। उम्मीदवार को अपना विवरण एक बार में ही भरना है वह इसे पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त इसका **Preview** देख लें। डाटा ठीक से भरने के लिये **Edit Option** उपलब्ध है। फार्म **Submit** करने के पश्चात एक रजिस्ट्रेशन संख्या आंवन्टित की जायेगी। भरे हुये आवेदन का प्रिन्ट आउट निकालकर एक प्रति अपने रिकार्ड के लिए रखें। आर्नें–लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेजों को अपने पास तैयार रखें।

आवश्यक दस्तावेज –

1 स्वंय का ईमेल जो वैध हो।
2 फोटो, हस्ताक्षर एवं बायें हाथ के अगूंठा का निशान JPEG इमेज में स्कैन करें, जिस का साइज 200KB से अधिक न हो।
3 उम्मीदवार का नाम एवं माता और पिता के नाम की वर्तनी हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में दर्ज नाम के अनुरूप ही होनी चाहिए।
4 उम्मीदवार का नाम, पता, पिन कोड, फोन नं/मोबाईल नं, आरडीएटी रजिस्ट्रेशन नं. एवं यदि रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कर रखा हो तो उसका नम्बर स्पष्ट रूप से भरा हो।
5 बांए हाथ के अंगूठा का निशान के लिये प्रिंटर स्याही (काली) का इस्तेमाल करे।
6 दो व्यक्तिगत पहचान चिन्ह।

3.......

Scanned with CamScanner

7 संबंधित बोर्ड द्वारा जारी 10वीं की अंकसूची एवं प्रमाणपत्र, आई.टी.आई की अंक सूची एवं एनसीवीटी द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्कैन कर अटैच करें। नेट से प्राप्त की गई अंकसूची अथवा प्रमाण–पत्र वाले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगें।

8 एस.सी./एस.टी./ओबीसी/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र को स्कैन कर अटैच करें।

9 आवेदक अपने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रति स्कैन कर अटैच करें।

8. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को आश्वस्त होना होगा कि वे सभी योग्यताए तथा अन्य अर्हता पूर्ण कर रहे हैं। अपेक्षित योग्यता पूर्ण न करने पर प्रशासन चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन को रद्द करने का अधिकार रखता है, तथा यदि चयन हो भी जाता है तो ऐसे उम्मीदवार का आवेदन बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जायेगा।

9. **ऐसे उम्मीदवार जिन्होनें आई.टी.आई एन.सी.वी.टी से उत्तीर्ण नहीं किया है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है तथा ऐसे किसी भी आवेदन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया गया कोई भी पत्राचार विचारणीय नहीं होगा।**

10. **चयन प्रकिया –** प्रधान कार्यालय उ.म.रे. इलाहाबाद के पत्रांक :– 797 ई/प्रषिक्षण/एक्ट अपे. 1961/उ.म.रे./2013 भाग–11 दिनांक 23.11.15 में निहित अनुदेशों के तहत पैनल निम्न दिशा निर्देशों के तहत बनाया जायेगा।

(i) प्रशिक्षण हेतु एक्ट अप्रैन्टिसों का चयन सभी पात्र उम्मीदवारों में से मेरिट के आधार पर होगा। इस चयन हेतु कोई लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा नहीं होगी।

(ii) प्रशिक्षण हेतु चयन की मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी द्वारा किसी मान्यता प्राप्त षिक्षा बोर्ड /संस्थान से उत्तीर्ण 10 वीं परीक्षा अथवा उसके समकक्ष किसी परीक्षा में प्राप्त किए गये अंकों का प्रतिषत और आई टी आई में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत के आधार पर बनाई जाएगी।

(iii) प्रतिशत अंको का आधार शिक्षा बोर्ड/संस्थान द्वारा घोषित कुल अंको का प्रतिशत रहेगा न कि किसी एक विषय या विषयों के समूह में प्राप्त अंकों का प्रतिशत।

(iv) एक से अधिक उम्मीदवारों के औसत अंक/प्रतिषत बराबर आने की स्थिति में अधिक आयु वाला उम्मीदवार वरीयता सूची में कम आयु वाले उम्मीदवार के ऊपर रहेगा। उक्त जानकारी (ऑकड़े) कम्प्यूटरीकृत होंगे और इसी प्रकार मेरिट लिस्ट बनाई जायेगी।

(v) मेरिट के आधार पर तैयार चयन सूची में से ट्रेड/समुदाय/कोटि (आरक्षण कोटि) के अनुसार अंतिम चयन सूची बनाई जायगी।

(vi) एक्ट अप्रैन्टिस स्लाट की निर्धारित संख्या के दोगुना के बराबर उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की जायगी। अर्थात एक्ट अप्रैन्टिस स्लाट की संख्या के बराबर मेन मेरिट लिस्ट तथा उतनी ही संख्या के बराबर प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। इनमें से स्लाट की निर्धारित संख्या के बराबर तैयार मेन मेरिट लिस्ट के उम्मीदवारों को उनके मूल दस्तावेजों के सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाया भेजा जाएगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अनुपयुक्त पाए उम्मीदवारों/चिकित्सा परीक्षा में अनुत्तीण/सत्यापन हेतु अनुपस्थित उम्मीदवारों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची के आधार पर वरीयतानुसार बुलावा भेजा जाएगा।

(vii) रेलवे के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सफल चिकित्सा परीक्षा के उपरान्त जारी मेडिकल स्वास्थ्य परिणाम में फिट (उत्तीर्ण) पाये जाने के बाद ही उम्मीदवार को प्रषिक्षण के योग्य माना जायेगा। यदि उम्मीदवार निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका प्रशिक्षण हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(viii) दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षण के लिए आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता या ट्रेवलिंग भत्ता नहीं दिया जायेगा।

11. चयनित प्रषिक्षुओं को होस्टल/आवास प्रदान नहीं किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

12. चयनित उम्मीदवारों की सूची उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाईट www.ncr.indianrailway.gov.in पर अपलोड की जायेगी, तथा पात्र सूची में शामिल उम्मीदवारों को डाक द्वारा भी सूचित किया जायेगा। अन्य उम्मीदवारों से इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रषिक्षण के उपरान्त भारतीय रेल द्वारा अप्रैन्टिसों को नौकरी देने की कोई गारंटी नहीं होगी। (प्राधिकारः–रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E(MPP)/2009/6/14 दि. 06.10.15)

4.......

Scanned with CamScanner

14. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में किसी भी संस्थान से अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह आवेदन करने के पात्र नहीं है।

15. **ट्रेनिंग का करार** – अप्रेन्टिस प्रशिक्षण शुरु होने के पहले चयनित उम्मीदवार को या यदि अभी वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को अप्रेन्टिस एक्ट– 1961 के अन्तर्गत एम्प्लॉयर के साथ अप्रेन्टिसशिप करार करना होगा।

16. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी। सफल उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा परन्तु प्रशिक्षण के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं होगी।

17. उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने गलत/झूठी सूचना दी है एवं उसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद पायी जाती है तो उसे किसी भी स्तर पर बिना नोटिस दिये निकाल दिया जायेगा।

18. अप्रेन्टिस के द्वारा किसी भी तरह की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने पर भी उसकी ट्रेनिंग एक सप्ताह के नोटिस देने के बाद समाप्त कर दी जाएगी।

उम्मीदवार अपने आवेदन हेतु नीचे अंकित तिथियों के दौरान ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं –

आवेदन की समय सीमा

ऑन लाइन आवेदन के खुलने की तिथि – 17–03–2021

ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि – 16–04–2021

उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी के लिये उम्मीदवार स्वंय जिम्मेदार होगा। यदि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदन के दौरान उम्मीदवार की ओर से यदि कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए कार्यालय, मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक),झाँसी प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

नोट – उम्मीदवार अपने ऑन लाइन भरे आवेदन का प्रिंट अपने पास अवश्य सम्भाल कर रखें, ताकि दस्तावेज सत्यापन हेतु इस कार्यालय द्वारा बुलाये जाने पर इसे प्रमाण के तौर पर देखा जा सके। बुलाये जाने पर प्रिंट आउट के साथ ही फीस की रसीद व शैक्षणिक योग्यता /तकनीकी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो एवं आई कार्ड (आधार कार्ड एवं पैन कार्ड) की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों को स्वसत्यापित प्रति लेकर उपस्थित होगें। **ऑनलाइन भरे आवेदन के प्रिंट आउट एवं वांछित मूल प्रपत्रों अभाव में किसी भी उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।** यदि चयन के दौरान यथोक्त चयन प्रकिया में नीतिगत परिवर्तन होते है तो तदानुसार चयन का मापदण्ड अपनाया जायेगा।

15/03/21

(शैलेन्द्र श्रीवास्तव)
सहायक कार्मिक अधिकारी
कार्यालय, मण्डल रेल प्रबन्धक
(कार्मिक) ,झाँसी

प्रतिलिपिः–
मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, मुख्य विधुत इंजीनियर, मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं वरि० उप महाप्रबन्धक– उ.म. रेलवे, इलाहाबाद को सूचनार्थ।

मुख्य जनराम्पर्क अधिकारी, उ.म.रेलवे, इलाहाबाद–कृप्या उपरोक्त अधिसूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है। उपरोक्त अधिसूचना उ० म० रे० इलाहाबाद की बेबसाईट www.ncr.indianrailways.gov.in पर डाउनलोड की जा रही है। एलोकेशन हेड संख्या–12512099.

वरि० मण्डल यांत्रिक अभियंता (डीजल), (कैरिज एवं वैगन), वरि०विधुत अभियन्ता (आरएस) झाँसी एवं सभी वरि० अनु०इंजी०–यांत्रिक,डीजल,आरएस झाँसी मण्डल।

मुख्य कार्या० अधी० कैरिज एवं वैगन, डीजल एवं टी आर एस अनुभाग कार्मिक शाखा झाँसी मण्डल।

निदेशक–आर.डी.ए.टी., कानपुर–208022 जिला सैनिक कल्याण बोर्ड झांसी। नोटिस बोर्ड।

मण्डल सचिव–एन.सी.आर.ई.एस, एन.सी.आर.एम.यू, ओ.बी.सी एवं एस.सी.एस.टी. एसो. झाँसी मंडल जिला सेवायोजन अधिकारी झाँसी।

अधीक्षक–शारीरिक विकलांग के लिये वोकेशनल एवं रीहेबीलिटेशन सेन्टर, ए.टी.आई. परिसर,गोविन्द नगर, कानपुर।

Scanned with CamScanner

अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप
विज्ञापन क्रमांक–01/2020/झाँसी

1. आई.टी.आई.ट्रेड का नाम ____________________
2. उचित कॉलम पर निशान लगाये

सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	शा.वि.		भू.पू.कर्म.
				ओ.एच.	एल.एन.	

3. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ____________________
4. पिता का नाम ____________________
5. माता का नाम ____________________
6. राष्ट्रीयता ____________________
7. धर्म ____________________
8. जन्मतिथि (अंको में) दिन–महिना–वर्ष ____________________
   (शब्दो में) ____________________
9. वर्तमान पता ____________________
10. स्थायी पता ____________________
11. मो.नं. ____________________
12. ई मेल आईडी ____________________
13. शैक्षणिक योग्यता–

स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

हाईस्कूल	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/शैक्षिक प्राधिकार/संस्थान	प्राप्तांक	अधिकतम अंक	प्रतिशत

14. तकनीकी योग्यता–

आई.टी.आई. एनसीवीटी/एससीवीटी	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/शैक्षिक प्राधिकार/संस्थान	ट्रेड	प्राप्तांक	अधिकतम अंक	प्रतिशत

15. वेबसाईट **www.apprenticeshipindia.org** पर की गई पंजीकरण संख्या ____________________
16. दो व्यक्तिगत पहचान चिन्हः– (1) ____________________
    (2) ____________________
17. संलग्नको की संख्या – ____________________
18. संलग्न प्रपत्रों को टिक करना– (कृपया आवश्यक दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें)
   a) हाईस्कूल का अंकपत्र
   b) हाईस्कूल का प्रमाण पत्र
   c) आई.टी.आई. का अंकपत्र एन.सी.वी.टी.
   d) जाति/भूतपूर्व कर्मचारी/शा.विकलांग प्रमाण पत्र
   e) अन्य कोई प्रमाण पत्र

19. **घोषणा–** मै एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये सभी कथन सम्पूर्ण तथा सटीक है तथा मेरी जानकारी मे है। मै समझता/समझती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त विवरणों मे कोई सूचना गलत या झूठी पाई जाये तो रेल प्रशासन को किसी भी स्तर पर मेरी पात्रता निरस्त करने का अधिकारी होगा। मै यह भी समझता/समझती हूँ कि अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के तहत दिये जाने वाला प्रशिक्षण केवल आवंटित ट्रेड पर मिलेगा तथा मेरा प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात रेलवे मे रोजगार प्रदान नही किया जायेगा। अतः रोजगार के लिये कोई दावा नही है। मै घोषणा करता हूँ कि मैने पोर्टल **www.apprenticeshipindia.org** पर आवश्यकतानुसार पंजीकरण कर लिया है।

स्थान– ____________

दिनाँक ____________

बाँये हाथ के अगूँठे का निशान

(आवेदक के हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner

बुलावा पत्र

झॉसी मण्डल में अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अर्न्तगत वर्ष 2019–20 में प्रशिक्षण पाने हेतु बुलावा पत्र का प्रारुप।

स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकायें

(उम्मीदवार द्वारा स्वंय भरा होना चाहिए)

अधिसूचना – 01/2020/झॉसी

1. उम्मीदवार का नाम – ______________
2. पिता का नाम– ______________
3. वेबसाईट **www.apprenticeshipindia.org** पर की गई पंजीकरण संख्या______________
4. पत्राचार के लिए पता– ______________

____

पुलिस स्टेशन ______________

नजदीकी रेलवे स्टेशन ______________

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

अनुक्रमांक______________

आपको मूल प्रमाण पत्रों एवं शारीरिक स्वस्थता की जांच हेतु भर्ती अनुभाग मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय झॉसी मे आने का निर्देश दिया जाता है। यदि उम्मीदवार ______________ तिथि को आने में असमर्थ रहा तो फिर उसे कोई अवसर/तिथि नही दिया जायेगा। उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का टी.ए/डी.ए नही दिया जायेगा।

तिथि ______________

प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

Scanned with CamScanner